

आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय

drishtiias.com/hindi/printpdf/quota-not-fundamental-right-supreme-court

प्रीलिम्स के लिये:

आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधान, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में अंतर

मेन्स के लियेः

रिट अधिकारिता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आरक्षण संबंधी मामले में अनुच्छेद-32 के तहत दायर याविका को यह कहते हुए खार्जि कर दिया कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है।

प्रमुख बिदुः

- याविका में तमिलनाडु में मेडिकल पाठचक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण नहीं देने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी।
- याविका में तिमलनाडु के शीर्ष नेताओं द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये 'राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा' (National Eligibility Cum Entrance Test- NEET) में राज्य के लिये आरक्षित सीटों में से 50% सीटें 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (OBC) हेतु आरिक्षित करने के लिये केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत एक याविका केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में दायर की जा सकती है।
- आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अत: आरक्षण नहीं देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने याविकाकर्त्ताओं को उच्च न्यायालय में याविका दायर करने की अनुमित प्रदान करते हुए याविका वापस लेने को कहा है।

आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधानः

• यद्यपि भारतीय संविधान के भाग-III के अंतर्गत अनुच्छेद 15 तथा 16 में आरक्षण संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया हैं।

परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इन अनुच्छेदों की प्रकृति के आधार पर इन्हें मौलिक अधिकार नहीं माना है। इसलिये इन्हें लागु करना राज्य के लिये बाध्यकारी नहीं हैं।

• आरक्षण की अवधारणा आनुपातिक नहीं, बल्कि पर्याप्त (Not Proportionate but Adequate) प्रतिनिधित्व पर आधारित है, अर्थात् आरक्षण का लाभ जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध कराने की बजाय पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये है।

विभिन्न वर्गों के लिये आरक्षण की व्यवस्थाः

वर्तमान में सार्वजितक शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकिरयों में अनुसूचित जाितयों (SC) के लिये 15%, अनुसूचित जनजाितयों (ST) के लिये 7.5%, अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिये 27% तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) के लिये 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

रिट की व्यवस्थाः

- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश में न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों तथा संविधान के संरक्षण का दायित्व प्रदान किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता प्रदान की गई है ।
- इन अनुच्छेदों के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) और अधिकार-प्रच्छा (Quo-Warranto) आदि रिट जारी की जा सकती है।

उच्च न्यायालय में रिट की अनुमति क्यों?

- उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही दि जारी कर सकता है जबिक उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी दि जारी कर सकता है।
- उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दायर िट की सुनवाई से मना नहीं कर सकता जबिक अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय सुनवाई के लिये याविका स्वीकार करने से मना कर सकता है क्योंकि अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है।

निर्णय का महत्त्वः

- चूँकि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है अत: आरक्षण के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत रिट स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है।
- निर्णय के बाद आरक्षण संबंधी मामलों में रिट याविका सीधे सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर उच्च न्यायालयों में लगानी होगी क्योंकि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामले भी शामिल होते हैं।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस